



VS

**IN THE COURT OF REVENUE BOARD,**

**M.P. GWALIOR, (M.P.)**

श्री. मनोज कुमार काशी  
द्वारा आदि दि. 15-7-13 को  
प्रस्तुत

क. 13-7-13  
वलाई ऑफ कोर्ट  
गवालियर मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
**CASE NO.**

**/2013 REVISION - R 206- II/13**

**REVISIONISTS**

1. Dhani Ram, Aged -about 55 years, R/o Shri Bare Lal, Occupation -- Agriculturist, R/o Village Jhakhna, Tehsil Pohari, Distt. Shivpuri, (M.P.)
2. Ram Kumar, Aged - about 55 years, R/o Shri Badri Prasad Ojha, Occupation -- Agriculturist, R/o Village Kalamad, Tehsil Pohari, Distt. Shivpuri, (M.P.)

**Versus**

**RESPONDENTS**

1. The Collector, Distt. Shivpuri
2. The Tehsildar, Tehsil Pohari, Distt. Shivpuri (M.P.)

A Revision under section 50 of M.P.L.R.C. 1959 against the order dt. 06-01-2013 passed by the learned Additional Tehsildar Tappa Bairad, Tehsil Pohari, Distt. Shivpuri in case no. 515/2012-13 B/121. Copy of order dt. 06-01-2013 is annexed hereto and marked as Annexure P/1.

**MAY IT PLEASE THIS COURT**

The humble Revisionists submits this revision as under:

**PARTICULARS OF THE ORDER UNDER CHALLENGE**

The petitioners is aggrieved by the order dt. 06-01-2013 passed by the respondent no. 2 whereby

W  
मनोज कुमार  
15/7/13

15/7/13

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

क्रमांक-निगरानी-206-दो / 2013

जिला-शिवपुरी

धनीराम व अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28-05-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर तहसीलदार टप्पा बैराढ, तहसील पोहरी, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 515/2012-13/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 03-04-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 16-07-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जेन) सदस्य</p> <p>28/5/19</p>